

प्रेस नोट थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 04.03.2025

गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष बेलघाट विकासनाथ मय पुलिस टीम द्वारा थाना खजनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 441/2024 धारा 2(b)(i),2(b)(xi),3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त रतन लाल चौहान को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से नकली सोना बेचने के आरोप में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खजनी पर मु0अ0सं0 316/2023 धारा 406,419,420,120बी,411,489ख,489ग भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

रतन लाल चौहान पुत्र मोती लाल चौहान निवासी ग्राम पिड़िया थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर
आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 441/2024 धारा 2(b)(i), 2(b)(xi) 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना खजनी जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 316/2023 धारा 406,419,420,120बी,411,489ख,489ग भादवि थाना खजनी जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 85/2016 धारा 308,323,452,504,506 भादवि थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 283/2019 धारा 147,308,323,452,504,506 भादवि थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 398/2019 धारा 323,325,504 भादवि थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर
6. मु0अ0सं0 453/2018 धारा 323,427,504,506 भादवि थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम -

1. थानाध्यक्ष विकास नाथ थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
2. कां0 पीकेश गुप्ता थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
3. कां0 रोहित यादव थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर